प्रेस नोट
दिनांक 19.05.2026

थाना परसपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0– 164/2026 धारा 281 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित 01 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री अभिषेक दवाच्यॉ के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–164/2026 धारा 281 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त उदय भान सिंह उर्फ लल्लन सिंह पुत्र राम कुमार सिंह निवासी मोहल्ला राजाटोला कस्बा व थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–329/2024 धारा 191(1),191(3),190,103(1),352,333,3(5) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त उदय भान सिंह उर्फ लल्लन सिंह पुत्र राम कुमार सिंह निवासी राजाटोला परसपुर को दिनांक 24.07.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्त को माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ से जमानत प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 15.04.2026 को जिला कारागार गोण्डा से रिहा किया गया। रिहाई के दिन अभियुक्त द्वारा अपने समर्थकों के साथ मोटरसाइकिल एवं चार पहिया वाहनों का गैर कानूनी जुलूस निकालते हुए नारेबाजी की गयी तथा माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित जमानत शर्तों का उल्लंघन करते हुए तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाकर आमजन के जीवन को संकट में डाला गया। उक्त घटना के फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किये गये, जिससे समाज में भय एवं आतंक का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। साथ ही अभियुक्त द्वारा मोहल्ला राजाटोला एवं पीड़ित परिवार के घर के सामने विजय जुलूस निकालकर नारेबाजी भी की गयी थी जिससे पीड़ित परिवार, स्थानीय नागरिकों एवं दुकानदारों में भय व्याप्त हो गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 19.05.2026 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त उदय भान सिंह उर्फ लल्लन सिंह को उसके घर में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. उदय भान सिंह उर्फ लल्लन सिंह पुत्र राम कुमार सिंह निवासी मोहल्ला राजाटोला, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 164/2026 धारा 281 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मुअ0सं0–20/2005 धारा 147,148,323,324,447,504,506,511 भा0द0सं0 थाना परसपुर जनपद गोण्डा
02. मु0अ0सं0–300/21 धारा 147,148,308,323,324,504,506 भादवि थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी
03. मु0अ0सं0–274/2023 धारा 354(ख),452,504,506,427,323 भा0द0सं0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा
04. मु0अ0सं0–329/2024 धारा 191(2),191(3),190,103(1)352, 333,3(5) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा
05. मु0अ0सं0–337/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्टथाना परसपुर जनपद गोण्डा
06. मु0अ0सं0–397/24 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा

07. मु0अ0सं0–164/2026 धारा 281 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. व0उ0नि0 श्री अमित सिंह
02. उ0नि0 श्री अमित गुप्ता
03. कां0 सुबेन्द्र सिंह
04. कां0 अजय सिंह
05. कां0 राहुल कुमार
06. रि0कां0 अभिषेक कुमार
07. रि0कां0 संतोष वर्मा

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 19.05.2026
वार्षिक निरीक्षण थाना मोतीगंज

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज का किया गया वार्षिक निरीक्षण, सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देशः–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आज दिनांक 19.05.2026 को थाना मोतीगंज का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण से पूर्व पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना परिसर पहुंचकर गार्द की सलामी ली गयी। तत्पश्चात थाना परिसर, थाना कार्यालय, विवेचना कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, शस्त्रागार एवं अन्य शाखाओं का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखने, कार्यालय अभिलेखों को अद्यावधिक बनाए रखने तथा अभिलेखों के उचित रख–रखाव हेतु प्रभारी निरीक्षक मोतीगंज को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। शस्त्रागार में रखे शस्त्रों की नियमित साफ–सफाई एवं रखरखाव सुनिश्चित करने के साथ–साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से शस्त्रों को खोलकर एवं बन्द कराकर उनकी कार्यक्षमता की जांच करायी गयी। साथ ही भोजनालय कक्ष में पुलिस कर्मियों हेतु गुणवत्तायुक्त एवं पोषणयुक्त भोजन तैयार किए जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। मिशन शक्ति कक्ष एवं महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण करते हुए महोदय द्वारा नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों से वार्ता की गयी तथा घरेलू हिंसा एवं महिला सम्बन्धी अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं की काउंसलिंग के दौरान उनकी भूमिका, शिकायतकर्ता की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनने तथा शिकायतों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध रजिस्टर का अवलोकन कर अपराध नियंत्रण एवं प्रभावी पुलिसिंग को और अधिक गति प्रदान करने हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही बीट आरक्षियों की बीट बुक चेक कर उनके दायित्वों एवं क्षेत्रीय गतिविधियों के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा, प्र0नि0 मोतीगंज सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।